

4/11/19

पत्रावली पेश हुई। गरीब व कमी  
 वकील उपर। वादी वकील व काडी ने  
 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया  
 कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में हम अपने  
 वाद को चलाना नहीं चाहते हमारे  
 बीच में प्रोबु कडालत की भावना  
 से मौजिज लोगो ने समझौता करवा  
 दिया है अब हमारे बीच कोई  
 विवाद नहीं है अतः प्रकरण विहीन  
 खारिज किया जाये। वादी वकील व  
 वादी के प्रार्थना पत्र सम्बन्ध पत्रावली  
 किया जाकर वाद विहीन खारिज  
 किया जाता है पत्रावली निम्न  
 सुमा देका दाखिल दफ्तल है।

4/11/19

उपखण्ड अधिकारी  
 गुडामालानी जिला-बाडमेर

